FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0142 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/06/2026 17:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 01/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/06/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/06/2026 17:32:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KASBA PATWAR BHAWAN, LATARA, TEHSIL BALI JILA PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAMLESH CHOUDHARY

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE. NEMARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LATARA, BALI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LATARA, BALI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIKARM		पिता:BHANWARLAL	1. MANDAI,SANGAD,JAISALMER,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम। विषयः - मेरे विधिक कार्य के बदले रिश्वत मांगने वाले पटवारी को रिश्वत लेते पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में सादर निवेदन मुझ प्रार्थी कमलेश चौधरी पुत्र स्व0 श्री नेमाराम जी चौधरी उम्र 35 साल जाति जणवा चौधरी निवासी ग्राम लाटाडा तहसील बाली , पुलिस थाना सादडी जिला पाली का इस प्रकार से हैं कि आज से कुछ समय पहले मैंने श्री हुकमसिंह पुत्र भोपालसिंह से खसरा संख्या 384/1 की भूमि खरीद की थी। जिसका बैचान नामान्तरण व विभाजन नामान्तरण करवाने हेतु मै हल्का पटवाली लाटाडा श्री विक्रम धीर से मिला तो उन्होंने मेरे से 11,000 रूपये देने का दबाव बनाया जिस पर मैंने दबाव में आकर उस समय 5,000 श्री विक्रम धीर पटवारी को दे दिये । तत्पश्चात श्री विक्रम धीर द्वारा नामान्तरण व विभाजन दर्ज करने से अब खसरा नम्बर 1261/384 भूमि 0.0138 हैक्टर मेरे नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कार्य के बाद लाटाडा पटवार हल्का में मेरी माता श्रीमती गंगा पत्नी स्व0 नेमाराम जी व श्री महिपालसिंह सोनीगरा के नाम सामलाति भूमि खसरा नम्बर 80 होनें से मेरी माता के कहने पर उक्त खसरा संख्या 80 की भूमि में मेरी माता के हिस्से का सीमांकन करवाने बाबत ऑन लाईन आवेदन (टोकन संख्या 2026/17022/1) कर मैं हल्का पटवारी श्री विक्रम धीर से मिला तो श्री विक्रम धीर ने मुझसे पहले किये गये कार्य के कुल 11000 हजार में से बकाया राशि 6000 हजार रूपये की मांग की तथा अब नये कार्य यानि मेरी माताजी के नाम की भूमि/हिस्सा खसरा संख्या 80 का सीमांकन करने हेतु प्रति खातेदार 1000-1000 रूपये यानि 2,000 रूपये इस प्रकार कुल 8,000 रूपये की मांग की। जिस पर मैंने सीमांकन नहीं करवाया व घर जाकर उक्त सारी बात अपनी माताजी श्रीमती गंगा को बताई तो मेरी माताजी ने कहा कि अपने जायज कार्य के लिये रिश्वत मत दो ऐसे रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करवाओं " मैं अनपढ व बुजुर्ग महिला हॅू, मेरी तरफ से उक्त रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही करवाने के लिए मौखिक रूप से मैं तुम्हे अधिकृत करती हॅू। मेरे द्वारा पूर्व में किये गये सीमांकन बाबत मेरी माताजी द्वारा मुझे मौखिक रूप से अधिकृत करने से मैंने पुनः सीमाकन बाबत आवेदन किया जिसके आवेदन (टोकन संख्या 2026/17022/2) है। मैं श्री विक्रम धीर पटवारी को रिश्वत नहीं देकर उसे रिश्वत में राशि प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों पकडवाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हॅू। मेरी श्री विक्रम धीर से कोई दुश मनी नहीं है ना कोई लेन-देन बकाया है । कानूनी कार्यवाही करावें हस्ताक्षर एएसपी धर्मेन्द्र डूकिया निष्पक्ष गवाह हस्ताक्षर गवाह-अमरचन्द हस्ताक्षर गवाह- घनश्याम सोलंकी हस्ताक्षर एएसपी धर्मेन्द्र डूकिया भवदीय कमलेश चौधरी कार्यवाही पुलिस दिनांक 26.05.2026 को वक्त 5.00 पी.एम पर परिवादी प्रार्थी कमलेश चौधरी पुत्र स्व0 श्री नेमाराम जी चौधरी उम्र 35 साल जाति जणवा चौधरी निवासी ग्राम लाटाडा तहसील बाली, पुलिस थाना सादडी जिला पाली नें ब्यूरो चौकी पाली पर उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय आई.डी. प्रुफ व जमाबन्दी की फोटो प्रतियॉ एवं सीमाकन हेतु किये आवेदन की फोटो प्रति मुझ धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की तथा दरियाफ्त पर बताया कि मैंने पूर्व में मेरे नाम से भूमि की खरीद की थी जिसके नामान्तरण एवं विभाजन दर्ज करने हेतु पटवारी श्री विक्रम धीर ने मुझे 11,000 रूपये रिश्वत की मांग कर दबाव बनाकर उस समय 5,000 रूपये ले लिये थे व 6,000 रूपये बाकि रखे थे। अब मैं अपनी माता जी के नाम की भूमि खसरा संख्या 80 के सीमाकन बाबत आवेदन कर हल्का पटवारी से पुनः मिला तो मेरे से उक्त खसरे के प्रति खातेदार 1000-1000 रूपये यानि 2000 रूपये व पिछले बकाया 6,000 रूपये इस प्रकार कुल 8,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यो तथा परिवादी द्वारा दरियाफ्त पर बताये तथ्यो से प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत राशि मांगने का मामला बनना पाया जाता है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचन्द कानि. की मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थिति प्राप्त कर उपस्थित परिवादी श्री कमलेश चौधरी से परिचय करवाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑपरेट करना परिवादी एवं ताराचन्द कानि को समझाया गया। परिवादी व ताराचंद कानि. को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर एक नये मैमोरी कार्ड की सील पैक खोलकर नया मैमोरी कार्ड डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर श्री ताराचंद कानि. को सुपुर्द कर आरोपी श्री विक्रम धीर पटवारी से रिश्वत राशि मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की परिवादी श्री कमलेश चौधरी से समझाईश की गई। श्री ताराचंद कानि. को हिदायत की कि दिनांक 27.05.2026 को परिवादी के बताये हुए स्थान पर पहुच

डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें एवं परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर वापस सुपुर्द करने पर स्वीच ऑफ कर सुरक्षित वापस लेकर आवें। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर सकुनत पर रवाना किया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड पुनः कानि0 से प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। दिनांक 27.05.2026 को वक्त 12.15 पी.एम ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचन्द कानि0 ने अवगत कराया कि परिवादी श्री कमलेश चौधरी ने मोबाईल कॉल कर मांग सत्यापन वार्ता हेतु लाटाडा बुलाया है, जिस पर श्री ताराचन्द कानि0 मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा से निकाल डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया व खाली मेमोरी कार्ड लगा होना सुनिश्चित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की समझाईश कर श्री ताराचन्द कानि0 को सुपुर्द कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुच गोपनीयता रखते हुए मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु रवाना किया। वक्त 06.30 पी.एम. श्री ताराचन्द कानि. मन् अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय उपस्थित आया एवं स्वीच ऑफशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि मैं ब्यूरो चौकी से रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसार लाटाडा पहुच पटवार भवन लाटाडा से कुछ दूरी पर ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगा नया मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर श्री विक्रम धीर पटवारी से मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु मुनासिब के रवाना किया गया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आस-पास मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसका मैंने स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में मेरी वार्ता हो गयी है, आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग की गई है, आरोपी विक्रम धीर पटवारी द्वारा पूर्व में किये गये नामान्तरण बाबत 11,000 की मांग कर रूपये देने का दबाव बनाने पर मैंने उसे पूर्व में 5000 रूपये दे दिये थे, उस नामान्तरण के 6,000 रूपये बाकी होना बताकर आज मेरी माताजी के नाम के खसरा नम्बर 80 के सीमांकन का कार्य करने हेतु मेरे से 1000 रूपये मेरी माता के हिस्से से व 1000 रूपये उसी खसरे के सह खाताधारक पेटे इस प्रकार कुल 8,000 रूपये की मांग अब श्री विक्रम धीर पटवारी मेरे से कर रहा हैं। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना तो श्री ताराचन्द कानि. द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई एवं आरोपी श्री विक्रम धीर पटवारी द्वारा परिवादी की माता के नाम खसरा संख्या 80 की भूमि के सीमांकन बाबत रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। श्री ताराचन्द कानि. नें बताया कि परिवादी ने आरोपी से हुई वार्ता अनुसार कुछ दिनों में रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होते ही आने का कहा है। परिवादी को ट्रेप कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर परिवादी को मौके पर ही रूखसत कर रवाना होकर आपके पास उपस्थित आया हॅू। जिस पर ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचन्द से डजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। दिनांक 28.05.2026 वक्त 01.30 पी.एम. को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये वॉटसअप कॉल वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था मैंने कर दी है, कल दिनांक 29.05.2026 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत की गई। परिवादी के बताये अनुसार कल दिनांक 29.05.2026 को ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना होनें से कार्यालय के समस्त जाब्ता को अलसुबह कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया । तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आयुक्त नगर निगम पाली के नाम पत्र क्रमांक 965 दिनांक 28.05.2026 तहरीर जारी कर श्री ताराचन्द कानि. को तहरीर सुपुर्द कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर लाने हेतु नगर निगम पाली रवाना किया गया। वापसी पर श्री ताराचन्द कानि. कार्यालय आयुक्त नगर निगम पाली द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही बाबत उपलब्ध करवाये दो स्वतंत्र गवाहान पत्र क्रमांक 170 दिनांक 28.05.2026 प्रस्तुत कर बताया कि नगर निगम पाली द्वारा दो स्वतंत्र गवाह क्रमश अमरचन्द वरिष्ठ सहायक एवं श्री घनश्याम सोलंकी कनिष्ठ सहायक को मुकर्र किया गया है, जिनसे मेरे द्वारा जरिये मोबाईल सम्पर्क कर कल दिनांक 29.05.2026 को 08-9.00 एएम पर ए.सी.बी. कार्यालय पाली-प्रथम आने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। दिनांक 29.05.2026 को वक्त 10.30 ए.एम पर नगर निगम पाली से पूर्व पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। दोनों गवाहान नें अपना परिचय श्री घनश्याम सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल जी उम्र 45 साल जाति घाचाी निवासी सुनारो का बास पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक नगर निमग पाली एवं श्री अमरचन्द पुत्र मीठुलाल जी उम्र 44 साल जाति हरिजन निवासी मसुरियॉ शान्ति नगर , पुलिस थाना बलदेव नगर जोधपुर कमीश नरेट जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक नगर निगम पाली जिला पाली के रूप में दिया। इसी दरम्यान पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री कमलेश चौधरी भी उपस्थित आये। जिन्होंने बताया कि आरोपी श्री विक्रम धीर पटवारी की मांग अनुसर 8,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हॅू, जिस पर उपस्थित गवाहान का परिचय परिवादी श्री कमलेश चौधरी से करवाया गया एवं उसके द्वारा दिनांक 26.05.2026 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट गवाहान को पढकर सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादी एवं आरोपी के बीच वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, को दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनायी गई। गवाहान द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता से संतुष्ट होकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की गई। दोनो गवाहान नें परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर

अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात ब्यूरो कार्मिक श्री रतनसिंह कानि0 की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उपस्थिति प्राप्त कर संभावित ट्रेप कार्यवाही में आकस्मिक परिस्थितियो के मद्देनजर प्राईवेट वाहन की आवश्यकता होने से प्राईवेट वाहन लाने हेतु मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। वक्त 11.05 ए.एम परिवादी श्री कमलेश चौधरी व आरोपी श्री विक्रम धीर पटवारी के मध्य दिनांक 27.05.2026 वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में विभागीय लेपटॉप से अटेच कर सुन-सुनकर फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार करना प्रारम्भ की गयी। आरोपी एवं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री कमलेश चौधरी ने की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैश वेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई । रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कॉपी कर 02 डब पैन ड्राईव तैयार किया गया। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली प्रकरण का विवरण अंकित कर सफेद थैली व फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा 02 डब पैनड्राईव को खुली हालत में रखा गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड व दोनो डब पैन ड्राईव को सुरक्षा की दृष्टि से मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखें। वक्त 12.25 पी.एम श्री रतनसिंह कानि0 संभावित ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होनें से प्राईवेट वाहन टोयटा कम्पनी की इनोवा किस्ट्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 टीबी 6663 मय ड्राईवर के उपस्थित आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर ड्राईवर का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम विनोद कुमार पुत्र पोलाराम जी जाति मेघवाल निवासी मोहन नगर , थाना कोतवाली जिला पाली का होना व मोबाईल नम्बर बताया। श्री विनोद कुमार को बुलाने के मन्तवव्य से अवगत करवाया गया। वक्त 12.30 पी.एम परिवादी श्री कमलेश चौधरी ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्री धर्माराम कानि0 से उक्त सभी नोटों पर हल्का-हल्का फिनॉफ्थिलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री कमलेश चौधरी की जामा तलाशी गवाह श्री अमरचन्द से लिवाई जाकर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 8,000 रूपये श्री धर्माराम कानि0 के हाथ से परिवादी के पहने हुए पेंट के आगे की दाहीने साईड जेब में रखवायी गयी तथा फिनॉफ्थिलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया के बारे में समझाईश कर दृष्टांत पृथक से दिया गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं प्रर्दशन फिनॉफ्थिलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व दृष्टान्त फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब की गई। वक्त 02.00 पी.एम पर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, परिवादी श्री कमलेश चौधरी, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक , अशोक कुमार मुख्य आरक्षक नं. 126, नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री ताराचन्द कानि. 176, रतनसिंह कानि. 357, श्री निर्मलसिह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 के जरिये विभागीय वाहन बालेरो नियो एवं प्राईवेट वाहन इनोवा क्रिस्टा मय ड्राईवर विनोद कुमार मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर , लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे निर्देशानुसार पुलिस ग्राम लाटाडा की तरफ रवाना हुऐ। रिश्वत राशि पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री धर्माराम कानि0 को आगे की कार्यवाही से पृथक कर ब्यूरो चौकी कार्यालय पर छोड़ा गया। वक्त 03.21 पी.एम मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय रवानाशुदा स्वतंत्र गवाहान , परिवादी एवं हमराहियान जाब्ता के ग्राम लाटाडा से पहले सरहद मुण्डारा पहुचे । आरोपी कर्मचारी श्री विक्रम धीर पटवारी की उपस्थिति ज्ञात करने बाबत परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी श्री विक्रम के मोबाईल फोन न0 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा कॉल अटेण्ड नहीं किया गया। जिस पर बार-बार कॉल करने पर शक हो जाने से बचने हेतु आरोपी के संभावित जवाबी कॉल के इन्तजार में मुकिम रहे। वक्त 04.02 पी. एम आरोपी श्री विक्रम ने परिवादी के मोबाईल पर कॉल किया जिस पर परिवादी को मोबाईल फोन स्पीकर ऑन करवाया जाकर आरोपी व परिवादी के बीच होने वाली वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया , वार्ता के दौरान आरोपी द्वारा बाली होने व आईन्दा सोमवार को मिलने हेतु कहा व कॉल कट कर दिया। चूकि आरोपी द्वारा आईन्दा सोमवार को मिलने हेतु कहा गया है। आज ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नहीं होने से आईन्दा सोमवार को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। परिवादी के पेंट की आगे की दाहिनी जैब में रखी फिनोफथलीन युक्त रिश्वती राशि ब्यूरो कार्मिक श्री रतनसिंह कानि0 से निकलवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में डाल ट्रेप बाक्स में रखवाई गई, परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की आईन्दा ट्रासक्रिप्ट मुर्तिब की जायेगी। ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री कमलेश चौधरी को गोपनीयता की हिदायत कर उसके कहेनुसार सरहद मुण्डारा छोडा जाकर सकुनत पर रवाना किया। मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक , अशोक कुमार मुख्य आरक्षक नं. 126, नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री ताराचन्द कानि. 176, रतनसिंह कानि. 357, श्री निर्मलसिह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 के जरिये विभागीय वाहन बालेरो नियो एवं प्राईवेट वाहन

इनोवा क्रिस्टा मय ड्राईवर विनोद कुमार मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम की तरफ रवाना होकर वक्त 6.00 पीएम पाली पहुचे ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक साम्रगी मालखाना में रखवाई गई। विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा, प्राईवेट वाहन टोयटा इनोवा क्रिस्टा मय डाईवर श्री विनोद कुमार , दोनो स्वतंत्र गवाहान अमरचन्द व घनश्याम सोलंकी व ब्यूरो जाब्ता को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया । दिनांक 01.06.2026 वक्त 11.00ए0एम0 दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री घनश्याम सोलंकी एवं श्री अमरचन्द व समस्त ब्यूरो कार्मिक कार्यालय उपस्थित है, चूकि दिनांक 29.05.2026 को परिवादी की आरोपी से हुई वार्ता अनुसार रिश्वती राशि का आदान प्रदान किये जाने की पूर्ण सभावना है, परिवादी कमलेश चौधरी से जरिये वॉटसअप कॉल सम्पर्क कर आरोपी कार्मिक की उपस्थिति ज्ञात करने व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम को सरहद मुण्डारा मिलने हेतु हिदायत की गई। ट्रेप कार्यवाही में अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होनें से ब्यूरो कार्यालय भ्रनिब्यूरो पाली-द्वितीय का सरकारी वाहन बोलेरो नियों की तलबी की गई। वक्त 11.20 ए0एम0 पर माफिक निर्देश ब्यूरो कार्यालय भ्रनिब्यूरो पाली-द्वितीय का सरकारी वाहन बोलेरो नियों मय ड्राईवर नारायणसिह कानि0 उपस्थित है, जिनसे सरकारी वाहन बोलेरो नियो प्राप्त कर कानि0 ड्राईवर को ब्यूरो कार्यालय भ्रनिब्यूरो पाली-द्वितीय पर वापसी ईजाजत हुई। वक्त 11.45 ए0एम0 मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, ब्यूरो जाब्ता श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक, अशोक कुमार मुख्य आरक्षक नं. 126, नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री ताराचन्द कानि. 176, रतनसिंह कानि. 357, श्री निर्मलसिह कनिष्ठ सहायक, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 के ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम विभागीय सरकारी वाहन बालेरो नियो एवं ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय के विभागीय सरकारी वाहन बालेरो नियो मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर , लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम से सरहद मुण्डारा , लाटाडा की तरफ रवाना हुऐ। वक्त 01.10 पी0एम0 पर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, एवं हमरायान समस्त ब्यूरो जाब्ता के फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा सरहद मुण्डारा पहुचे जहा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के बताये अनुसार परिवादी श्री कमलेश चौधरी हस्ब तलवीदा उपस्थित मिला, जिसने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मैंने अपने स्तर पर आरोपी कार्मिक की उपस्थिति ज्ञात कर ली है आज आरोपी कार्मिक श्री विक्रम कार्यालय में उपस्थित है तथा मेरे जाने पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग कर राशि प्राप्त कर लेगा। जिस पर दिनांक 29.05.2026 को कागज के लिफाफे में डाल ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि ब्यूरो कार्मिक श्री अभय कुमार ड्राईवर से निकलवाई जाकर पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी स्वतंत्र गवाह श्री अमरचंद को सुपुर्द कर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया, समस्त नोट फर्द पेशकशी अनुसार हूबहु पाये जाने पर श्री अभय कुमार हैड कानि0 ड्राईवर के हाथों से उक्त रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 8,000 रूपये परिवादी के पहने हुए पेंट की पीछे की दाहिनी जैब में रखवाई गई। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई की रास्ते में नोटो को नहीं छुए व आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकाल कर देवें। वक्त 01.15 पी0एम0 मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, एवं परिवादी श्री कमलेश चौधरी तथा हमरायान समस्त ब्यूरो जाब्ता के पटवार भवन लाटाडा की तरफ रवाना हुए। वक्त 01.25 पी0एम0 मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, एवं परिवादी कमलेश चौधरी तथा हमरायान समस्त ब्यूरो जाब्ता के फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा पटवार भवन लाटाडा से कुछ दूरी पर पहुचे, दोनों सरकारी वाहनों को रूकवाया जाकर ब्यूरो जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान को अपनी अपनी उपस्थिति छुपाकर खडे रहने व परिवादी व आरोपी के मध्य लेन-देन होने पर गोपनीय ईश्यारे के इंतजार में मुकीम रहने की हिदायत की गई, परिवादी श्री कमलेश चौधरी को ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड ताराचंद कॉनि से ऑन करवाया जाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत कर रिश्वत राशि लेन-देने हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतत्र गवाहान व समस्त ब्यूरो जाब्ता अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुए गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए। वक्त 01.30 पीएम पर परिवादी श्री कमलेश चौधरी नें अपने मोबाईल फोन न से श्री ताराचन्द कानि0 के मोबाईल फोन न पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा किया जिसे श्री ताराचन्द कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गोपनीय ईशारा व लेन देन हो जाने से अवगत करवाया। जिस पर पास ही छुपाव हासिल किये खडे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के पटवार भवन लाटाडा पहुंचे, जहां पटवार भवन के अन्दर प्रवेश करने पर सामने एक टेबल पर एक जवान उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ व उसके सामने परिवादी श्री कमलेश चौधरी बैठा मिला। जिस पर परिवादी को दिया ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी कमलेश चौधरी ने टेबल पर सामने बैठे व्यक्ति की तरफ हाथ से ईशारा कर बताया कि यही श्री विक्रम पटवारी है, जिन्होंने अभी-अभी मेरे से रिश्वती राशि मांग कर आठ हजार रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जैब में रखे है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें अपना, निष्पक्ष गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति नें अपना नाम विक्रम पटवारी होना तथा पटवारी पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली पर पदस्थापित होना

बताया। तत्पश्चात् श्री विक्रम से परिवादी श्री कमलेश चौधरी को पहचानने एवं परिवादी से अभी थोडी देर पहले कोई राशि प्राप्त करने बाबत् पूछने पर श्री विक्रम नें बताया कि मैं कमलेश चौधरी को जानता हूं, इन्होने हल्का लाटाडा में पूर्व में भूमि खरीद की थी जिसका बैचान नामान्तरण व विभाजन एवं सीमांकन का कार्य मैंने किया था व कुछ समय पहले इनकी माताजी के नाम भूमि के सीमांकन व बटंवाडे का आवेदन किया था जो कार्य अभी बाकी है। श्री कमलेश चौधरी ने अभी थोडी देर पहले मुझे 8,000 रूपये दिये थे जो मैने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई काले रंग की पेंट की पिछे की दाहिनी जैब में रखे है, उक्त राशि मैंने पूर्व में कमलेश चौधरी को उधार दी थी जो राशि आज मुझे कमलेश ने लोटाई है। जिस पर पास ही खडे परिवादी द्वारा आरोपी के कथनों का खण्डन कर बताया कि श्री विक्रम पटवारी झूठ बोल रहे है मैने श्री विक्रम पटवारी से कोई राशि उधार नहीं ली थी। मैंने पूर्व में खसरा संख्या 1261/384 की भूमि क्रय की थी जिसके बैचान नामान्तरण व विभाजन का कार्य करने की एवज में मुझे 11000 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दबाव बनाने पर मैंने पूर्व में श्री विक्रम पटवारी को 5000 रूपये दिये थे, उसके बाद मैंने मेरी माताजी के नाम खसरा संख्या 80 की भूमि के सीमांकन बाबत श्री विक्रम पटवारी से मिला तो उन्होंने मेरे से पूर्व के कार्य करने नामान्तरण व विभाजन के बाकाया 6000 रूपये व वर्तमान सीमाकन करने के 2000 रूपये इस प्रकार कुल 8000 रूपये की मांग की, जो राशि श्री विक्रम पटवारी के मांगने पर मेरे द्वारा अभी थोडी देर पहले ही पटवारी जी को दी है, उन्होंने रिश्वत राशि 8000 रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट की पीछे की दाहिनी जैब में रखे है। श्री विक्रम पटवारी को परिवादी से राशि उधार लेने के संबंध में कोई लिखापढी आदि होने के बारे में पुछा तो श्री विक्रम पटवारी ने कोई लिखापढी नहीं होना बताया। परिवादी कमलेश चौधरी द्वारा आरोपी के कथनों का खण्डन करने व किसी भी प्रकार की लिखित प्रमाण पटवारी के पास नहीं होने से ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान की वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही करते हुए जरिये विडियोग्राफी हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की पारदर्शी (डिस्पोजेबल) दो साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी श्री विक्रम पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगुठा डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शिशीयो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क RH-1 एवं RH-2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी विक्रम के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का झायीदार गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का झायीदार गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त धोवन को कांच की दो साफ शिशीयो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क LH-1 एवं LH-2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। धोवन में प्रयुक्त दोनों डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द से लिरवाने पर आरोपी श्री विक्रम पटवारी के पहने हुए काले रंग के पेंट की पीछे की दाहिनी जैब पॉच सौ पॉच सौ रूपये 16 नोट का एक बंडल यानि 8000 रूपये एवं अन्य खुली राशि 1360 रूपये अलग मिले उक्त राशि स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द से गिनवाये गये तो कुल 9,360 रूपये होना पाये गयें। स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम सोलंकी को पूर्व से मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान उक्त बरामदगी राशि 500-500 के नोटो के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहु फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार पाये गये । बरामद नोटों का विवरण निम्नानुसार हैंः- 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7MP552270 2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5BM412827 3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5RS737352 4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0GB220880 5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1RD436383 6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4VW951661 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4EU579392 8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3QQ425672 9. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7QB317845 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी OKF649615 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8EP581898 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8PA930512 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7RV069012 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4AC818872 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8UW425284 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6FW278618 उक्त भारतीय मुद्रा 8,000 रूपये को बतौर वजह सबूत सफेद कागज के लिफाफे में डाल उक्त लिफाफे को कपडे़ की थैली में डालकर कपडे की थेली को शील्ड मोहर किया जाकर मार्क "R" अंकित कर कब्जा एसीबी लिये गये। शेष 1360 रूपये आरोपी ने स्वयं के खर्चे के होना बताने व ट्रेप राशि नहीं होनें से उसे पुनः लौटाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रम पटवारी के पहनने हेतु एक अन्य लोवर की व्यवस्था कर उसके पहने हुए काले रंग के पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक (डिस्पोजेबल) साफ गिलास निकलवाकर साफ पीने का पानी भरवाया गया । उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त तेयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि

बरामदगी स्थल आरोपी के पहने हुए पेन्ट की पीछे की दाहिनी जैब को उलटकर दो-तीन बार डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गहरे गुलाबी रंग के घोल को कॉच की दो साफ शिशियो में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों को शील्ड मोहर कर मार्क P-1 एवं P-2 अंकित किया गया। उक्त पेन्ट की जेब को सुखोकर पेन्ट को सफेद थेली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर थेली को शील्ड मोहर कर्म मार्क "P " अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त की गई धोवन एवं बरामगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी ब्यूरो के डिजीटल विडियों रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करवाई गई। तत्पश्चात वक्त 04.00 पी0एम0 दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अमरचन्द व श्री घनश्याम सोलंकी व उपस्थित परिवादी श्री कमलेश चौधरी की निशादेही में पटवार भवंन लाटाडा का नजरी निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्षा मौका घटनास्थल व विस्तृत हालात अंकित कर फर्द मुर्तिब की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात 04.30 पी0एम0 ट्रेप कार्यवाही में श्री युद्वीर भू-अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा हस्बतलवीदा उपस्थित प्राप्त कर ब्यूरो के डी0वी0आर0 में एक सील बन्द नया मेमोरी कार्ड इनसर्ट करवाया जाकर डी0वी0आर0 श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर विडीयोग्राफी प्रारम्भ कर उपस्थित भू-अभिलेख निरीक्षक व आरोपी विक्रम की उपस्थिति में पटवार भवन लाटाडा की खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। दौराने खाना तलाशी परिवादी से संबंधित खसरा संख्या 1261/384 की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 व खसरा नम्बर 80 से संबंधित विभाजन आवेदन पत्रावली कुल पृष्ट 09 मिले उक्त दोनो दस्तावेज परिवादी से संबंधित होने से फोटो कॉपी कर दोनो स्वतंत्र गवाहान व भू-अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिए व मूल दस्तावेज भू-अभिलेख निरीक्षक को लोटाये गये, नियमानुसार फर्द खाना तलाशी पटवार भवन लाटाडा मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 05.30 पी0एम0 पर पटवार भवन लाटाडा पर अधिक भीड हो जाने व ग्रामीणों के मध्य आक्रोश होने से अग्रीम कार्यवाही पुलिस थाना बाली में किये जाने का निर्णय कर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अमरचन्द्र व घनश्याम सोलंकी, एवं परिवादी कमलेश, डिटेन शुदा आरोपी विक्रम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक, अशोक कुमार मुख्य आरक्षक नं. 126, नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री ताराचन्द कानि. 176, रतनसिंह कानि. 357, श्री निर्मलसिह कनिष्ठ सहायक, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 के ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम विभागीय सरकारी वाहन बालेरो नियो एवं ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय के विभागीय सरकारी वाहन बालेरो नियो मय मुर्तिबा समस्त फर्दात, बरामदा रिश्वत राशि 8,000 रूपये शील्ड शुदा, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन की शील्ड सुदा शीशियॉ एवं पेन्ट के धोवन की शीशियॉ व वजह सबुत पेंट सील बन्द तथा ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर , लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित थाना बाली की तरफ रवाना हुऐ। वक्त 05.50 पी0एम0 - इस समय मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी कमलेश, डिटेन शुदा आरोपी विक्रम तथा समस्त ब्यूरो जाब्ता ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम व द्वितीय के विभागीय सरकारी वाहनों बालेरो नियो मय मुर्तिबा समस्त फर्दात, मय आर्टिकल्स के थाना बाली पहुचे, थानाधिकारी से अग्रीम कार्यवाही हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की बताये अनुसार एक कक्ष में सामग्री रखवाई गई, जाकर अग्रीम कार्यवाही हेतु तैयारी की गई, इसी दरम्यान ज्ञात आया कि आरोपी श्री विक्रम कस्बा बाली में किराये के मकान में निवासरत है। आरोपी के किराये के मकान में संदिग्ध राशि अथवा दस्तावेज मिलने की संभावना है, सर्च वारण्ट प्राप्त किये जाने में समय लगने की प्रबल सभावना है ऐसी स्थिति में आरोपी के निकट जानकार द्वारा संदिग्ध राशि अथवा दस्तावेज खुर्दबुद कर दिये जाने की प्रबल संभावना होने से किराये के मकान की खाना तलाशी लिये जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 06.00 पी0एम0 मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह अमरचंद व श्री घनश्याम सोलंकी एवं आरोपी श्री व्रिकम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भेरूसिंह सउनि, श्री रतनसिह कानि0, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम का सरकारी वाहन बालेरो नियो मय ड्राईवर अभयकुमार हैड कानि0 मय आवश्यक सामग्री डी0वी0आर0 इत्यादि के आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु रवाना हुए, वजह सबुत आर्टिकल्स धोवन की शीशियॉं, बरामदा रिश्वत राशि, जब्त पेंट समस्त सामग्री की सुरक्षा हेतु श्री अशोक कुमार हैड कानि0 मय ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचंद कानि0 निर्मलसिह कनिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि0 को थाना बाली को निगरानी हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना हुए। वक्त 06.10 पी0एम0 मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह अमरचंद व श्री घनश्याम सोलंकी एवं आरोपी श्री व्रिकम तथा ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन बालेरो नियो मय ड्राईवर अभयकुमार हैड कानि0 मय आवश्यक सामग्री डी0वी0आर0 इत्यादि के आरोपी श्री विक्रम के बताये अनुसार कस्बा बाली में आरोपी विक्रम किराये के मकान के सामने पहुचे, पुछने पर उक्त मकान के मालिक का नाम श्री खेताराम घाची होना बताया। मकान दो मंजिला बना हुए है, जिसके उपरी हिस्से में अपनी पत्नी व एक बच्ची के साथ किरायेदार के रूप में आरोपी विक्रम ने रहना बताया। जिस पर किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु महिला हैड कानि0 हीना पुलिस थाना बाली की उपस्थिति प्राप्त कर नियमानुसार खाना तलाशी मुर्तिब कर संदिग्ध दस्तावेज कब्जा ब्यूरो लिये जाकर विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह

अमरचंद व श्री घनश्याम सोलंकी एवं आरोपी श्री व्रिकम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भेरूसिंह सउनि, श्री रतनसिह कानि0, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक मय मुर्तिबा फर्दात, दस्तावेज व सरकारी वाहन बालेरो नियो मय ड्राईवर अभयकुमार हैड कानि0 मय आवश्यक सामग्री डी0वी0आर0 इत्यादि के पुलिस थाना बाली रवाना होकर वक्त 07.50 पी0एम0 पुलिस थाना बाली पहुचे, जहा ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में रखे समस्त आर्टिकल्स, वजह सबुत धोवन की शीशिया, बरामदा शील्ड रिश्वत राशि इत्यादि यथास्थिति सुरक्षित हालत में मिले, वक्त 08.00 पी0एम0 आरोपी श्री विक्रम पटवारी पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली जिला पाली के सहकर्मी श्री दीपक कुमार पटवारी व विकास कुमार पटवारी हस्ब तलवीदा उपस्थित है, जिन्हे ब्यूरो द्वारा रिश्वत राशि मांग व लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड वार्ताओ के मुख्यअशं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सुनाई जाकर फर्द आवाज पहचान मुर्तिब कर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये, सहकर्मियों को वापसी ईजाजत हुई। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रम पुत्र श्री भंवरलाल जाति सुथार उम्र 32 साल निवासी ग्राम मण्डाई, थाना सांगड जिला जैसलमेर हाल पटवारी पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली जिला पाली से विस्तृत पुछताछ कर पुछताछ नोट मुर्तिब कर आरोपी श्री विक्रम पुत्र श्री भंवरलाल जाति सुथार उम्र 32 साल निवासी ग्राम मण्डाई, थाना सांगड जिला जैसलमेर हाल पटवारी पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली जिला पाली को धारा 35 (1)(बी),(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस दिया गया। वक्त 09.25 पी0एम0 आरोपी श्री विक्रम पुत्र श्री भंवरलाल जाति सुथार उम्र 32 साल निवासी ग्राम मण्डाई, थाना सांगड जिला जैसलमेर हाल पटवारी पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली जिला पाली को उनके द्वारा किये गये जूर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित 2018 व संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाया जाकर नियमानुसार गिरफतार कर फर्द गिरफतारी मुर्तिब कर फर्द पर संबधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। थाना बाली पर बार-बार बिजली आने-जाने व कटौती होनें से कार्यवाही में व्यवधान के मद्देनजर अग्रीम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम पर किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में वक्त लेन-देन हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मुर्तिब की जानी शेष होने से परिवादी श्री कमलेश चौधरी कल दिनांक 02.06.2026 को समय पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर सकुनत पर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, अमरचन्द, घनश्याम सोलंकी, गिरफतार शुदा आरोपी विक्रम पटवारी व समस्त ब्यूरो जाब्ता श्री भैरूसिंह सउनि., अशोक कुमार हैड कानि0126 श्री रतनसिंह कानि0 357, श्री ताराचंद कानि0 176, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि0 286, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री अभय कुमार हैड कानि0 डाईवर न0 09 मय ब्यूरो कालर्यालय पाली प्रथम व द्वितीय के दोनो सरकारी वाहन बोलेरो नियो वाहन रजि0 न0 आरजे 14 यूएन 6719 व आरजे 14 यूएल 5821 मय मुर्तिबा फर्दात, मय जब्त दस्तावेज एवं शील्ड सुदा समस्त आर्टिकल्स क्रमश धोवन की शीशियां मार्क RH-1 एवं RH-2, व मार्क LH-1 एवं LH-2 एवं P-1 एवं P-2 तथा वजह सबूत पेंट मार्क ''P'' व बरामदा रिश्वत राशि 8,000 रूपये पकेट मार्क ''R'', ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, डी0वी0आर0 , मेमोरी कार्ड , लेपटॉप, मय प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स मय सामग्री के ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम रवाना होकर वक्त 11.45 पी0एम0 - ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम पहुच शील्ड सुदा समस्त आर्टिकल्स क्रमश धोवन की शीशियां मार्क मार्क RH-1 एवं RH-2, व मार्क LH-1 एवं LH-2 एवं P-1 एवं P-2 तथा वजह सबूत पेंट मार्क ''P'' व बरामदा रिश्वत राशि 8,000 रूपये पकेट मार्क ''R'' ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, डी0वी0आर0 , मेमोरी कार्ड , लेपटॉप, मय प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स मय सामग्री के फिगरा उपरोक्त का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम पहुचे। समस्त मालखाना आर्टिकल्स श्री अशोक कुमार हैड कानि0 126 , मालखाना प्रभारी का सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। रात्री अधिक हो जाने से स्वतंत्र गवाहान श्री अमरचंद व घनश्याम सोलंकी को मुनासिब हिदायत अग्रीम कार्यवाही हेतु समय पर कार्यालय आने हेतु पाबन्द कर रात्री विश्राम हेतु सकुनत पर रूकसत किया गया। दिनांक 02.06.2026 को वक्त 09.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री कमलेश चौधरी व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अमरचन्द व श्री घनश्याम सोलंकी हस्बतलवीदा उपस्थित है, जिनकी उपस्थिति में ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में दिनांक 01.06.2026 को वक्त लेन-देन हुई रिकॉर्ड वार्ताओं के मेमोरी कार्ड को विभागीय लेपटॉप से अटेच कर सुन-सुनकर फर्द ट्रान्सस्क्रीप्ट रिश्वत राशि वक्त लेनदेन वार्तालाप एवं हैश वेल्यु तैयार करना प्रारम्भ की गयी। आरोपी विक्रम एवं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री कमलेश चौधरी ने की। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैश वेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की कॉपी कर 02 डब पैन ड्राईव तैयार किया गया। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में सील मोहर किया जाकर मार्क ''L'' अंकित किया। उक्त कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। उक्त दोनो मेमोरी कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखें। वक्त 11.00 ए0एम0 पर वक्त ट्रेप हाथ धोवन व बरामदगी कार्यवाही के दौरान सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के डी0वी0आर0 में लगे मूल मेमोरी कार्ड को विडियो रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से हैश वेल्यु श्री ताराचन्द कानि. से निकलवाई गई जाकर फर्द में अंकित की गई । उक्त मेमोरी कार्ड की कॉपी कर एक डब (क्लोन) पैन ड्राईव तैयार की गई। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब (क्लोन) पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। वक्त

11.30 ए0एम0 दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दौराने ट्रेप कार्यवाही पटवार भवन लाटाडा की खाना तलाशी की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के विडियो रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड को विडियो रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से हैश वेल्यु निकलवाई गई जाकर फर्द में अंकित की गई। उक्त मेमोरी कार्ड की कॉपी कर एक डब (क्लोन) पैन ड्राईव तैयार की गई। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब (क्लोन) पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। तत्पश्चात वक्त 11.50 ए0एम0 दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी विक्रम के रहवासीय किराये के मकान की खाना तलाशी की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के विडियो रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड को विडियो रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से हैश वेल्यु निकलवाई गई जाकर फर्द में अंकित की गई । उक्त मेमोरी कार्ड की कॉपी कर एक डब (क्लोन) पैन ड्राईव तैयार किया गया। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब (क्लोन) पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। वक्त 12.10 पी0एम0- इस समय दौराने ट्रेप कार्यवाही फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी की विडियोग्राफी हेतु प्रयुक्त सील शुदा मूल मेमोरी कार्ड सीलबन्द एवं पटवार भवन लाटाडा की खाना तलाशी की विडियोग्राफी हेतु प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सीलबन्द तथा आरोपी विक्रम के किराये के मकान की खाना तलाशी की विडियोग्राफी हेतु प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सील बन्द व उक्त तीनो की एक-एक डब (क्लोन) पैन ड्राईव श्री अशोक कुमार हैड कानि. मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। वक्त 12.30 पी.एम. स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट, रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट, कपडे की थैली में शिल्डशुदा बरामदा रिश्वत राशि, आरोपी के हाथो एवं उसके वक्त वाका पहनी हुई पेंट की जेब के धोवन की शिल्डशुदा शीशियां, आरोपी के पेंट का पैकेट, रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन-देन वार्ताओ का मूल मेमोरी कार्ड, विडियो रिकॉडिंग मेमोरी कार्ड इत्यादि शिल्ड मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री कमलेश चौधरी द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 1261/384 की भूमि खरीद कर बैचान नामान्तरण व विभाजन एवं सीमांकन दर्ज करने की ऐवज में पूर्व में 11,000 हजार रूपये की मांग कर 5,000 रूपये पूर्व में प्राप्त करना व 6,000 रूपये बकाया रहने पर पुनः परिवादी कमलेश चौधरी के अपनी माताजी श्रीमती गंगा के नाम खसरा संख्या 80 में सीमाकंन आवेदन कर पटवारी श्री विक्रम से मिलने पर आरोपी श्री विक्रम द्वारा पूर्व परिवादी के किये कार्य के बकाया 6,000 व वर्तमान में उसकी माताजी के खसरा संख्या 80 की भूमि के सीमांकन कार्य हेतु 2000 इस प्रकार कुल 8,000 रूपये की मांग कर परेश्यान करने पर परिवादी ब्यूरो में शिकायत कर दिनांक 26.05.2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत करने पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 27.05.2026 को मांग का सत्यापन करवाया गया, दौराने मांग सत्यापन आरोपी द्वारा स्पष्ट रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 01.06.2026 को ट्रेप का आयोजन कर आरोपी विक्रम द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 8,000 रूपये प्राप्त करने पर रंगेहाथो ट्रेप कर रिश्वती राशि आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। आरोपी श्री विक्रम, पटवारी पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली जिला पाली लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु रिश्वती राशि की मांग कर दिनांक 27.05.2026 को 8,000 रूपये दौराने मांग सत्यापन एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 01.06.2026 को रिश्वती राशि 8,000 प्राप्त की गई। आरोपी श्री विक्रम पटवारी, पटवार हल्का लाटाडा, तहसील बाली जिला पाली का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपी श्री विक्रम पुत्र श्री भंवरलाल जाति सुथार उम्र 32 साल निवासी ग्राम मण्डाई, थाना सांगड जिला जैसलमेर हाल पटवारी पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली जिला पाली के विरूद् उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपेार्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय (धर्मेन्द्र डूकिया) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विक्रम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति सुथार, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम मण्डाई, थाना सांगड जिला जैसलमेर हाल पटवारी पटवार हल्का, लाटाडा, तहसील बाली, जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीरोही को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 27 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 879-82 दिनांक 02.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- जिला कलक्टर, पाली 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KUYARAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/06/2026 18:29:08

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)